चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांकः 18.01.2021

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 20 जिलों अजमेर, बांसवाडा , बीकानेर, भीलवाडा, बून्दी, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, चुरु, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनु, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर के 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव जनवरी–फरवरी 2021 (संलग्न सूची अनुसार) से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। मतदान दिनांक 28.01.2021 (गुरुवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

ह०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
उप मुख्य प्रोटोकाल अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव(जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र कमांक 135 दिनांक 6.1.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. संभागीय आयुक्त अजमेर,उदयपुर,बीकानेर, कोटा, जोधुपर,जयपुर ।
15. जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी) अजमेर,बांसवाडा,बीकानेर,भीलवाडा,बून्दी, प्रतापगढ, चितौडगढ चुरु डुंगरपुर हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर,झालावाड,झुन्झुनु,नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर,टोंक,उदयपुर
16. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
20. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

18/1/21

उप मुख्य प्रोटोकाल अधिकारी

राजस्थान सरकार **चुनाव अत्यावश्यक**

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांकः 18.01.2021

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 20 जिलों अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, भीलवाडा, बून्दी, प्रतापगढ, चितौडगढ, चुरु, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनु, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर के 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव जनवरी–फरवरी 2021 (प्रति संलग्न है) दिनांक 28.01.2021 (गुरुवार) को होने के कारण संबधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
उप मुख्य प्रोटोकाल अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव(जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र कमांक 127 दिनांक 6.1.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. संभागीय आयुक्त अजमेर,उदयपुर,बीकानेर, कोटा, जोधुपर,जयपुर ।
15. जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी) अजमेर,बांसवाडा,बीकानेर,भीलवाडा,बून्दी, प्रतापगढ, चितौडगढ चुरु डुंगरपुर हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर,झालावाड,झुन्झुनु,नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर,टोंक,उदयपुर
16. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
20. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

18/1/21
उप मुख्य प्रोटोकाल अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2021 / 127 दिनांक: 6/1/2021

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :– 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव जनवरी–फरवरी, 2021 – मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 20 जिलों की 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 11.01.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 28.01.2021 को होगा। 20 जिलों की 90 नगरीय निकायों की सूची एवं आम चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 28.01.2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करवावें। यदि कहीं किसी कारण से पुर्नमतदान की स्थिति बनती है तो पुर्नमतदान के दिवस भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न :– नगरनिकायों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2021 / 128 दिनांक: 6/1/2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बून्दी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

6.1.2021
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

282

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

20 जिलों की 90 नगर निकायो के आम चुनाव माह जनवरी- फरवरी, 2021

चुनाव कार्यक्रम

➢ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1	लोक सूचना जारी करने की तिथि	11.01.2021 (सोमवार)
2	नामाकन पत्रो का प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.01.2021 (शुक्रवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की सवीक्षा की तिथि	16.01.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	19.01.2021 (मंगलवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	चुनाव चिन्हां का आवंटन	20.01.2021 (बुधवार)
6.	मतदान की तिथि	28.01.2021 (गुरूवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	31.01.2021 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ अध्यक्ष पद के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	01.02.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	02.02.2021 (मंगलवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रो की संवीक्षा की तिथि	03.02.2021 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	04.02.2021 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	04.02.2021 (गुरूवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	07.02.2021 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	07.02.2021 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ उपाध्यक्ष पद के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	08.02.2021 (सोमवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय--सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

चित्रा
5/1/2021

परिशिष्ट –A

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

90 नगरीय निकायों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	नगर निकाय की क्र.सं.	नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम का नाम	वार्ड संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1	अजमेर नगरनिगम	80
		2	नगरपरिषद किशनगढ़	60
		3	न.पा. विजय नगर	35
		4	न.पा. केकड़ी	40
		5	न.पा. सरवाड़	25
2.	बांसवाड़ा	6	न.पा. कुशलगढ़	20
3.	बीकानेर	7	न.पा. नोखा	45
		8	न.पा. देशनोक	25
		9	न.पा. श्रीडूंगरगढ़	40
4.	भीलवाड़ा	10	नगरपरिषद भीलवाड़ा	70
		11	न.पा. शाहपुरा	35
		12	न.पा. जहाजपुर	25
		13	न.पा. माण्डलगढ़	20
		14	न.पा. गंगापुर	25
		15	न.पा. आसीन्द	25
		16	न.पा. गुलाबपुरा	35
5.	बून्दी	17	नगरपरिषद बून्दी	60
		18	न.पा. लाखेरी	35
		19	न.पा. केशोरायपाटन	25
		20	न.पा. नैनवां	25
		21	न.पा. कापरेन	25
		22	न.पा. इन्द्रगढ़	20
6.	प्रतापगढ़	23	नगरपरिषद प्रतापगढ़	40
		24	न.पा. छोटी सादड़ी	25
7.	चित्तौड़गढ़	25	न.पा. बड़ी सादड़ी	25
		26	न.पा. कपासन	25
		27	न.पा. बेगूं	25

8.	चुरू	28	न.पा. रतनगढ़	45
		29	नगरपरिषद सुजानगढ	60
		30	न.पा. सरदारशहर	55
		31	न.पा. छापर	25
		32	न.पा. बीदासर	35
		33	न.पा. रतननगर	20
		34	न.पा. तारानगर	35
		35	न.पा. राजलदेसर	35
9.	डूंगरपुर	36	नगरपरिषद डूंगरपुर	40
		37	न.पा. सागवाड़ा	35
10.	हनुमानगढ़	38	न.पा. संगरिया	35
		39	न.पा. नोहर	40
		40	न.पा. भादरा	40
		41	न.पा. रावतसर	35
		42	न.पा. पीलीबंगा	35
11.	जैसलमेर	43	न.पा. पोकरण	25
12.	जालौर	44	न.पा. सांचोर	35
13	झालावाड	45	नगरपरिषद झालावाड़	45
		46	न.पा. भवानीमण्डी	40
		47	न.पा. झालरापाटन	35
		48	न.पा. पिडावा	20
		49	न.पा. अकलेरा	35
14.	झुन्झुनूं	50	न.पा. नवलगढ़	45
		51	न.पा. चिडावा	40
		52	न.पा. बग्गड़	20
		53	न.पा. खेतड़ी	25
		54	न.पा. मण्डावा	25
		55	न.पा. मुकुन्दगढ़	25
		56	न.पा. सूरजगढ़	25
		57	न.पा. उदयपुरवाटी	35
15.	नागौर	58	नगरपरिषद नागौर	60
		59	न.पा. लाडनूं	45
		60	न.पा. मेड़तासिटी	40
		61	न.पा. कुचामनसिटी	45
		62	न.पा. परबतसर	25

		63	न.पा. नावां	25
		64	न.पा. कुचेरा	25
		65	न.पा. मूण्डवा	25
		66	न.पा. डेगाना	25
16.	पाली	67	न.पा. सोजतसिटी	40
		68	न.पा. सादड़ी	35
		69	न.पा. बाली	25
		70	न.पा. तख्तगढ	25
		71	न.पा. रानीखुर्द	20
		72	न.पा. जैतारण	25
		73	न.पा. फालना स्टेशन	25
17.	राजसमन्द	74	नगरपरिषद राजसमन्द	45
		75	न.पा. देवगढ	25
18.	सीकर	76	न.पा. फतेहपुर–शेखावाटी	55
		77	न.पा. लक्ष्मणगढ़	40
		78	न.पा. रामगढ़ शेखावाटी	35
		79	न.पा. श्रीमाधोपुर	35
		80	न.पा. खण्डेला	25
		81	न.पा. रींगस	35
		82	न.पा. लोसल	35
19.	टोंक	83	न.पा. निवाई	35
		84	न.पा. देवली	25
		85	न.पा. उनियारा	20
		86	न.पा. मालपुरा	35
		87	न.पा. टोडारायसिंह	25
20.	उदयपुर	88	न.पा. फतह नगर – सनवाड	25
		89	न.पा. भीण्डर	25
		90	न.पा. सलूम्बर	25
			कुल योग	3035

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

285

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

विषयः– 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव जनवरी–फरवरी, 2021 चुनाव हेतु कार्यक्रम की घोषणा।
संदर्भः– राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का पत्र क्रमांकः एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/135 दिनांकः 06.01.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य 20 जिलों (अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बून्दी, प्रतापगढ, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुन्झनुं, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर) के 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

1.डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, साप्र. (ग्रुप–1) विभाग।
2.उपशासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/सम्पदा विभाग।
3.मुख्य लेखाधिकारी, साप्र. (ग्रुप–4) विभाग।
4.सहायक शासन सचिव, साप्र. (ग्रुप–2,3 व 6) विभाग।
5.सहायक शासन सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग।
6.सहायक शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

अशाः टीप. क्रमांकः प.15(8)साप्र/5/2014
जयपुर, दिनांकः 11 JAN 2021
प्रतिलिपिः–उप महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान एवं ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को संदर्भित पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव जनवरी–फरवरी, 2021 की आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करावें।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या : 120
दिनांक : 12-01-2021

संयुक्त शासन सचिव

Room No.1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No.(J.S.)-0141-2227874 (Fax)-5116626, 2227928, 2227874
E-Mail-asgad5@rajasthan.gov.in Website: www.gad.rajasthan.gov.in